

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 26/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/125

अनवान

1. हेमराज पिता रायचन्द्र जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनीदेवी पत्नि रतनलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पुष्कर पिता रतनलाल ना.बा. माता रतनी जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर
4. श्रवण पिता रतनलाल ना.बा. माता रतनी जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता लेहरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हुक्मा पिता उदयराम जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमनालाल पिता बक्षु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शोभालाल पिता बरदा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अम्बालाल पिता बरदा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनलाल पिता सोहनलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भुरा पिता बरदा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नेनु पिता छोगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नोसीदेवी पत्नि अर्जुनलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भैरू पिता रूपा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक: - 10.06.2025

कृषि आराजियात खाता संख्या 541 में अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 484 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 485 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 486 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 487 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 488 रकबा 0.26 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.05.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 10.06.2025 को अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 541 में अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 484 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 485 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 486 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 487 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 488 रकबा 0.26 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा

4. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 541 में अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 484 रकबा 0.33 है, आराजी संख्या 485 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 486 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 487 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 488 रकबा 0.26 है कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 है भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा-सम्बन्धी समरत विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

(1) किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में भू-अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा।

(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी विवाद की जांच के दौरान भू-अभिलेख अधिकारी अपने आपको इस प्रकार संन्तुष्ट नहीं कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यह बतलाया जाये कि जांच के प्रारूप होने से पूर्व के तीन माय के अन्दर विधि संगत अधिवासियों को अवैधानिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया गया है तो भू-प्रबन्ध अधिकारी सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन-सा पक्ष कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।


उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में

में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 541 में अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 484 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 485 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 486 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 487 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 488 रकबा 0.26 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफतर हों।



(करुणा लाडोती)
सहायक अधिकारी
रायपुर जिला, राजस्थान

आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।